बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 88868 (आवं०) पटना, दिनांक 20-01-12

R.11019/147/2011-Sec07(6)

प्रेषक,

मदनजी पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

ई-मेल

उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज ।

विषय :- **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन अंतर्गत वितीय वर्ष 2011-12 में सामान्य मद में विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ₹ 161.88 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख अठ्ठासी हजार) के विरूद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कुल ₹ 53.960 लाख (तिरेपन लाख छियानवे हजार) रूपये की राशि का वर्तमान वितीय वर्ष 2011-12 में आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-76007 दिनांक-14.10.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन अंतर्गत वितीय वर्ष 2011-12 में सामान्य मद में विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि **₹ 161.88 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख अठ्ठासी हजार)** के विरूद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कॉलम-5 में अंकित कुल **₹ 53.960 लाख (तिरेपन लाख छियानवे हजार)** की राशि वर्तमान वितीय वर्ष 2011-12 में निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

(रूपये लाख में)

क्रम	जिला का नाम	केन्द्रांश प्रथम किस्त विमुक्ति संबंधी भारत सरकार के आदेश सं0 एवं तिथि	वित्तीय वर्ष 2011-12 में विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि	देय अनुपातिक राज्यांश का वर्ष 2011-12 में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	गोपालगंज	J-12011/20/2010-SGSY-I(117) dated-21.10.11	**161.88**	**53.960**
		कुल :-	**161.88**	**53.960**

2. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-76007 दिनांक-14.10.2011 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।
3. आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी-2501061010101, विषय शीर्ष-50 03-राज्यांश के अंतर्गत वितीय वर्ष 2011-12 में विकलनीय है।
4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, गोपालगंज होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी ।
5. यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दि0-17.04.98 एवं पत्रांक-159वि. दि0-20.03.09 की कंडिका-2 में निहित निदेशों एवं शर्तो का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।
6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0(2) दि.-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दिनांक-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक मुश्त अग्रिम निकासी कर व्यय करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-8593 दिनांक-17.11.07 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी

7. उप विकास आयुक्त, गोपालगंज से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक आने वाले माह की 5वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करावें एवं ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि के विरूद्ध डी.सी. बिल कोषागार एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

20/01/2012

(मदनजी पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 88868 (आ०वि०) पटना, दिनांक 20-01-12

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/01/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 88868 (आ०वि०) पटना, दिनांक 20-01-12

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/01/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 88868 (आ०वि०) पटना, दिनांक 20-01-12

प्रतिलिपि- श्रीमती नीता केजरीवाल, निदेशक (एस.जी.एस.वाई.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, बिहार, पटना-सह-आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री प्रिय नवीन, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/01/2012

सरकार के संयुक्त सचिव